

18-05-16

पलावली कोर्ट डेम-व्हामंडुका
मे पेश हई ! पलावली मे निर्णय
अलेग ते छिखा जाऊर बाभिल
पलावली छिया गया।

पलावली कैसल शुमार हो
साथ नम्बर से कम की जाके

उप अधिकारी
भा. नं. ३ (राज.)

बनाम

- 1 संजय पुत्र जसवन्तसिंह बाबेल निवासी काशीपुरी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
- 2 भैरुनाथ पुत्र श्री धूकलनाथ निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा
- 3 शम्भूनाथ पुत्र धूकलनाथ निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा
- 4 श्रीमती गीता पत्नी श्रीउगमा जाट निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा
- 5 रामलाल पुत्र भैरूलाल जाट निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा
- 6 गोपाल लाल पुत्र बद्री जाट निवासी बबराना तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
- 7 मुकेश कुमार पुत्र बद्री जाट निवासी बबराना तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
- 8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 18.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 21.01.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआकंला प०म० महुआकंला तहसील भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न० 2025, 2020, 2022, 2023/1, 2024/1, 2026, 2848/2022, 2850/2026, 3064/2016, 3065/2015, 3101/2023 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 5-19 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 21.01.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम महुआकंला प०म० महुआकंला मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ०न० न० 2025, 2020, 2022, 2023/1, 2024/1, 2026, 2848/2022, 2850/2026, 3064/2016, 3065/2015, 3101/2023 कुल कित्ता 11 ल रकबा 5-19 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में तयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में करा देवे। प्रार्थी कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 600/-रु० बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 18.05.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण ल शुमार होकर दाखिल दफतर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

भीलवाडा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

नोटि:- तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।